5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.–पी.बी.आर. 2015 निगरानी निगरानी 2137-PBR-15

1. अनिल कुमार जैन पुत्र श्री चन्दन लाल जैन निवासी इन्दरगंज लश्कर ग्वालियर म.प्र.
2. अतुल जैन पुत्र नरेन्द्र कुमार जैन निवासी नेहरू कॉलोनी ठाठीपुर ग्वालियर म.प्र.

.... प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन कलेक्टर ग्वालियर
2. तहसीलदार ग्वालियर कार्यालय गोरखी भवन लश्कर ग्वालियर म.प्र.
3. राजस्व निरीक्षक कार्यालय राजस्व निरीक्षण दृत मेहरा तहसील व जिला ग्वालियर

.... प्रति प्रार्थीगण

श्री ए०के० अग्रवाल - एडवोकेट
द्वारा आज दि. 9-7-15
प्रस्तुत
रीडर आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक नि.2137–पीबीआर/15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–08–15	आवेदकगण एवं अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के सीमांकन आदेश दिनांक 22–5–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही उनके समक्ष सीमांकन की कार्यवाही की गई है, अतः ग्राह्यता के स्तर पर ही तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–5–15 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदकगण को विधिवत् सीमांकन की सूचना दी जाकर उनके समक्ष प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाये । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	